COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय :– श्रीमान राजस्व मंडल मध्य प्रदेश गवालियर

समक्ष मे :– अध्यक्ष महोदय

26-10-06

जगदीप सिंह आयु 30 वर्ष आत्मज अंगत सिंह व्यवसाय कास्तकारी निवासी पिपरिया तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद

.................आवेदक

बनाम

परमानंद मेहरा आयु लगभग 45 वर्ष आत्मज धारीराम मेहरा निवासी बीजनवाड़ा तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद

मध्य प्रदेश शासन

द्वारा कलेक्टर महोदय होशंगाबाद

.............अनावेदक

रिव्यू 2188-II/06

पुनरावलोकन याचिका अंतर्गत धारा 51 भू–राजस्व संहिता

आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1616 पी0बी0आर0/05 मे पारित आदेश दिनांक 28/07/06 से परिवेदित होकर भू– राजस्व संहिता की धारा 51 के तहत यह पुनरावलोकन याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर प्रस्तुत करता है

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 2188–दो / 2006 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03.11.16	आवेदक द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1616–पीबीआर / 2005 में पारित आदेश दिनांक 28–7–2006 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि कोटवार की सेवाभूमि है और अनावेदक ने वर्ष 2009 में ही लिखकर दे दी गई है कि अब वह प्रश्नाधीन भूमि अदला–बदली करने के लिये सहमत नहीं है । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया निरर्थक हो जाने के कारण अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	